>

14.39 hrs

Title: Regarding Scheduled Castes And The Scheduled Tribes (Reservation In Posts And Services) Bill.

श्री संतोष गंगवार (बरेली): उपाध्यक्ष महोदय, इसके बाद अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित बिल है। इसका पहले भी विरोध किया गया था। हम जानना चाहते हैं कि सरकार का इस बिल के प्रति क्या रवैया है कि यह बिल सदन में प्रस्तुत किया जाएगा या नहीं?

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, माननीय सदस्य ने पूछा है कि अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित जो बिल सदन में आना था, उसकी क्या स्थिति है?

THE MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (SHRI PRITHVIRAJ CHAVAN): Sir, we have written to the offices of the hon. Speaker and the Minister of Parliamentary Affairs that we have received a legal advice from the Ministry of Law that there has to be a mandatory consultation with the Chairman, National Commission of Scheduled Castes. So, we will now proceed to have formal consultations with the Chairman, National Commission of Scheduled Castes. Therefore, we are not bringing it today. [R51]

SHRI SANTOSH GANGWAR : Sir, when will the discussion under Rule 193 take place?

THE MINISTER OF OVERSEAS INDIAN AFFAIRS AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI VAYALAR RAVI): We have requested the concerned Minister to be here at 4 p.m. Otherwise, we can take up the discussion at 5 p.m.

MR. DEPUTY-SPEAKER: We would see after we have finished this Bill.

श्री संतोष गंगवार : हमें बोलने वालों को बुलाना पड़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदयः क्या आप आज या कल तक उनसे एडवाइज ले लेंगे क्योंकि कल सैशन का आखिरी दिन है।

श्री पृथ्वीराज चव्हाण : महोदय, हमें यह सलाह अभी-अभी लॉ मिनिस्टरी से मिली है इसलिए आपसे कहा कि इसे आज न लिया जाए। जितनी जल्दी उनसे कनसल्टेशन हो सके, हम इसकी कोशिश करेंगे। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदयः इसे लेकर सदन में शोर हुआ था।

â€¦(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदयः पार्लियामेटरी अफेयर्स मिनिस्टर ने एश्योरेंस दी थी कि हम विद अमेंडेमेंट्स यह बिल लाएंगे। उस दिन डेट 19 फरवरी थी और ऐसी एश्योरेंस दी गई थी। शेडयूल्ड कास्ट्स लीडर्स और दूसरे लीडर्स के साथ बैठकर तय हुआ था कि विद अमेंडमेंट्स बिल लाएंगे। जिस बात को लेकर शोर किया गया था वह Clauses II to IV and the Schedule will be removed and as far as Clause 9 is concerned, the word `desirable' will be removed. इस तरह की एश्योरेंस दी गई थी। ...(व्यवधान)

SHRI PRITHVIRAJ CHAVAN: Sir, if I may place before this House the fact that a reference was made by the Chairman, National Commission for Scheduled Tribes to the hon. President. That reference was received by the Government and that reference was examined by the Law Ministry. We got the opinion of the Law Ministry just this morning. The Law Ministry has opined that consultation with the National Commission will be necessary. We just got the advice of the Law Ministry. We will carry on the consultation as soon as possible.

श्री राजेश वर्मा (सीतापुर) : हाउस में आश्वासन दिया जाता है लेकिन उसके बाद भी हाउस में बिल नहीं आता है। आज कहा जा रहा है कि उसे कमीशन को भेज दिया गया। सदन में मंत्री जी ने बयान दिया था कि यह बिल आएगा और संशोधन के साथ आएगा। आज ऐसी कौन सी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है? ...(व्यवधान) मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि संशोधन के साथ बिल आएगा। आज ऐसी कौन सी परिस्थिति उत्पन्न हो गई कि शेडयूल्ड कास्ट्स और शेडयूल्ड ट्राइब्स वाला बिल कमीशन को भेज दिया गया है। सरकार जो कुछ कहती है, उससे पीछे हट जाती है। संसद सत्र खत्म होने की स्थिति में है। यहां एश्योर करना लेकिन उसके बाद बदल जाना ठीक नहीं है। मैं नहीं जानता कि सरकार क्या करना चाहती है। शेडयूल्ड कास्ट्स और शेडयूल्ड ट्राइब्स के विरुद्ध ऐसी क्या मजबूरी है जिसे लेकर सरकार टालमटोल कर रही है। अगर यहां आश्वासन दिया गया है तो सरकार उसे क्यों पूरा नहीं कर रही है। इस पर डिबेट होनी चाहिए। राज्य सभा में सितम्बर महीने में गुपचुप तरीके से दो मिनट में इसे पास किया गया। उस दिन सारा हाउस इस बिल के खिलाफ खड़ा था। सरकार ने एश्योर किया कि इस बिल को संशोधन के साथ लाया जाएगा। इस पर डिबेट होनी चाहिए थी लेकिन ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई कि यह बिल कमीशन में जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदयः बिल तो आया है लेकिन विद अमेंडमेंट्स नहीं आया है। यह समस्या है।

SHRI VAYALAR RAVI: Sir, I carefully made a statement. The Members from the party of the hon. Member was making some protests

and demanded the withdrawal of the Bill. They also staged a walk out. In between I said that there was a discussion in the morning with some of us including Shri Paswan and others. Some proposals have been made and it is being looked into. That is what I said. Again I reiterate that these proposals have been made and it is still under the consideration of the Government.

उपाध्यक्ष महोदयः मिनिस्टर साहब ने जवाब दे दिया है। अब आप क्या कहेंगे?

श्री राजेश वर्मा : यह पूरे देश की जनता के साथ धोखा है। संसद सत्र के अंतिम दिनों में इस तरह इस बिल के साथ खिलवाड़ हो रहा है।[a52]

MR. DEPUTY-SPEAKER: Let us take up item No. 43.

...(*Interruptions*)

श्री पृथ्वीराज चव्हाण : सर, यह हमने नहीं भेजा। कमीशन ने लिखा था कि इसे विदड्रॉ किया जाए। हमने विदड्रॉ नहीं किया।...(व्यवधान)

PROF. BASUDEB BARMAN (MATHURAPUR): I want to know from the hon. Minister why should it be taken in haste. ...(*Interruptions*) The observations made by the Scheduled Tribes Commission must be circulated and we must go through them before taking any decision. I request the Government through you not to take any decision in haste. I moved some amendments also. So, I want to take part in the debate. I request the Government not to do anything in haste. ...(*Interruptions*)

श्री राजेश वर्मा : हाउस को विश्वास में लेकर अमेंडमेंट की बात इन्होंने कही थी। ...(व्यवधान) आज आप अमेंडमेंट नहीं ला रहे हैं। यह क्या मतलब है?...(व्यवधान) सरकार ने अमेंडमेंट के लिए हाउस में एश्योर किया था, फिर अमेंडमेंट क्यों नहीं हुआ?...(व्यवधान)

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकंठा): यह कमीशन एससीएसटी कमीशन है।...(व्यवधान)

श्री राजेश वर्मा : मैं चेयर से बात कर रहा हूं। आप बीच में मत बोलिए। जब सरकार ने कहा था कि विद अमेंडमेंट बिल आएगा तो अमेंडमेंट क्यों नहीं हुआ?...(व्यवधान) सपोर्ट की बात नहीं है, हमें आपका सपोर्ट नहीं चाहिए। यह कौन सा तरीका है कि जब सरकार ने यहां पर एश्योर किया था कि अमेंडमेंट के साथ बिल लाएंगे तो फिर कमीशन को क्यों भेजा?...(व्यवधान)

14.47 hrs (Shri Rajesh Verma and some other hon. Members then left the House)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please sit down. Let us move to item No. 43.